पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड व तहसील भटियात जिला चम्बा हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अंकेक्षण अवधि 01-04-2015 से 31-03-2018

भाग-एक

1 **{क} प्रस्तावना:-**

ग्याहरवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश को सौंपें जाने के दृष्टिगत, पंचायत समिति, भटियात विकास खण्ड भटियात जिला चम्बा के अवधि 01.04.15 से 31.03.18 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत समिति में निम्नलिखित अध्यक्ष/कार्यकारी अधिकारी कार्यरत थे:-

अध्यक्ष :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमति सृती देवी	23-01-11 से 22-01-16
2.	श्री सुरेश कुमार	23-01-16 से लगातार

कार्यकारी अधिकारी :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्रीमती सुषमा कुमारी	01-04-15 से 03-10-15
2.	श्री अमित मेहर SDM	08-10-15 से 03-03-16
3.	श्री सुरेन्द्र कुमार	04-03-16 से 14-06-17
4.	श्री ओम प्रकाश	04-07-17 से 31-08-17
5.	डॉ.बशीर खान	04-09-17 से 08-03-18
6.	श्री अरविन्द गुलेरिया	09-03-18 से लगातार

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार :-

क्रम संख्या	**पैरा स०**	**अनियमितता का संक्षिप्त सार**	**राशी {₹लाखों में }**
1.	4.2	दिनांक 31.3.18 को रोकड़ बही बैंक खातों के अन्तशेष में भारी अन्तर	63.42
2.	6	पंचायत समिति राजस्व वसूली हेतु शेष	0 .42
3.	7	अनुदानों का उपयोग न करना	160.97
4.	8	निर्माण कार्यो को पूरा न करने के कारण अनुदानों का अवरोधन	19.62
5.	9 (क) (ख)	निर्माण सामग्री का दुर्विनियोजन	0.49

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

पंचायत समिति भटियात, विकास खण्ड व तहसील भटियात, जिला चम्बा के अवधि 01/4/2015 से 31/03 /2018 के वर्तमान लेखों का अंकेक्षण/जाँच परीक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती अनुच्छेदों में दिए गए है, श्री मुकेश कुमार स्नेही (सहायक नियंत्रक) व श्री प्रीतम चन्द, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 05-07-2018 से 11 -07-2018 तक के दौरान खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय भरमौर में किया गया। आय की विस्तृत जाँच हेतु माह 06/15, 10/16, 08/17 व व्यय की विस्तृत जाँच के लिए माह 07/15, 01/17 व 05/17 को चयनित किया गया।

इस अंकेक्षण एवं निरिक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश उत्तरदायी नहीं होगा। अंकेक्षण का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक सीमित है।

3 अंकेक्षण शुल्क:-

पंचायत समिति भटियात , विकास खण्ड व तहसील भटियात , जिला चम्बा अवधि 4/15 से 3/18 तक के लेखाओं के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹10800 बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क ₹10800 को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या:182 दिनांक 11-07-18 द्वारा कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति भटियात से अनुरोध किया गया।

4 वितीय स्थिति:-

पंचायत समिति भटियात द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत समिति के अवधि 4/15 से 3/18 के लेखाओं की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

वर्ष	अथशेष (₹)	स्व-स्त्रोत (₹)	अनुदान 13FC +BRGF (₹)	ब्याज (₹)	जोड़ (₹)	व्यय (₹)	अन्त शेष (₹)
2015-16	17446869	3300	19237054	364943	37052166	21339293	15712873
2016-17	15712873	19900	11377809	230889	27341471	20227324	7114147
2017-18	7114147	41950	22996687	1364237	31517021	15419593	16097428

(1)(क) वित्तीय स्थिति अनुसार पंचायत समिति 13th FC का दिनांक 31-03-18 को अंत शेष :-7577939

(ख) वित्तीय स्थिति अनुसार पंचायत समिति ZP का दिनांक 31-03-18 को अन्त शेष :- 8519489

कुल जोड़ 16097428

(2) (क) रोकड़ बही अनुसार पंचायत समिति 13th FC का दिनांक 31-03-18 को अंत शेष :- 7577939

(ख) रोकड़ बही अनुसार पंचायत समिति ZP का दिनांक 31-03-18 को अन्त शेष :- 9319662

कुल जोड़ 16897601

अन्तर (2-1) 16897601- 16097428 = 800173

पंचायत समिति ZP की रोकड़ बही व वितीय स्थिति के अन्तशेष में अन्तर का कारण :-

(i) दिनांक 06-10-15 को अधिक शेष उठाना :-

(8356516-8356518 पृष्ठ 452 पर) = 2

(ii) दिनांक 03-01-17 को व्यय भाग में कम जोड़ = 500208

(पृष्ठ 48,774895-274687)

(iii) दिनांक 22-06-17 को अधिक जोड़ = 300000

(पृष्ठ 85 ,11647644-11947644)

(iv) दिनांक 18-05-16 को कम शेष उठाना = (-) 37

(6346785-6346748 पृष्ठ 11)

जोड़ **800173**

दिनांक 31.3.18 को वितीय स्थिति व बैंक में जमा राशि के अन्तशेष में अन्तर:-

(3)(क) वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31-03-18 को 13th FC का अंत शेष :- 7577939

बैंक के अनुसार दिनांक 31-03-18 को 13FC का अन्त शेष (4172192+3018116):- 7190308

अन्तर :- 387631

(ख) वित्तीय स्थिति अनुसार दिनांक 31-03-18 को पंचायत समिति- ZP का अंत शेष :- 8519489

बैंक के अनुसार दिनांक 31-03-18 को पंचायत समिति ZP का अन्त शेष :- 14473892

अन्तर :- 5954403

दिनांक 31-3-18 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-

क्रम सं0	बैंक का नाम	खाता सं	राशि
1.	HPGramin bank chowari (PS-13thFC)	99288100023059	4172192
2.	ICICI bank banikhet (PS-13thFC)	263001000129	3018116
3.	HPSCB chowari (PS-ZP)	18010107295	14473892
		Total	**21664200**

4.2 रोकड़ बही व बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के फलस्वरूप पंचायत समिति 13th FC निधि में 3.88 व पंचायत समिति-ZP निधि में₹59.54 लाख का अन्तर पाया जाना:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे , संकर्म, कराधान व भत्ते }नियम 2002 के नियम 15(10) के अनुसार पंचायत समिति रोकड़ वही के शेषों का बैंक खातों के शेषों से मिलान करना अनिवार्य है जबकि पंचायत समिति की रोकड़ बही अवलोकन में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि की रोकड़ वही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31-03-18 को रोकड़ वही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार एवं पंचायत समिति 13th FC निधि में 3.88 व पंचायत समिति-ZP निधि में ₹59.54 लाख का रोकड़ वही एवं बैंक खातों के अन्तिम शेष में अन्तर पाया गया (अन्तर का ब्यौरा पैर 4 में दिया गया है)I जिस बारे स्थिति स्पष्ट करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना सं 0 174 दिनांक 04-07-18 द्वारा

स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया व पचायत समिति द्वारा अंकेक्षण को पत्र सं 0 3784 दिनांक 06-07-18 द्वारा अवगत करवाया गया कि रोकड़ बही का बैंक के साथ दिनांक 31-03-18 तक मिलान किया गया है अत: उत्तर असन्तोषजनक है। अत: पंचायत समिति द्वारा रोकड़ वहियों का बैंक खाते से मिलान न करना नियमों के विरुद्ध होने के कारण अनियमित है। अत : अतिशीघ्र रोकड़ बही व बैंक में जमा राशि के अन्तर का मिलान किया जाए व भविष्य में पंचायत समिति की रोकड़ वही व बैंक खातों के साथ प्रतिमाह मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

4.3 पंचायत समिति निधि का निजी बैंकों में निवेशित करने बारे:-

जाँच में पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा 13 वे वित्त आयोग निधि का बैंक खाता आई.सी.आई.सी.आई.बैंक बनीखेत में खोला गया है जो कि वित्त विभाग के पत्र सं :-Fin-IF-(A)-68/91-V दिनांक 17-04-14 में दिए दिशा-निर्देशों की सरासर अवहेलना है। उक्त पत्र में वर्णित निर्देशों के अनुसार सरकारी संस्थानों की अतिरिक्त राशि कोपरेटिव बैंक में निवेशित की जानी अपेक्षित थी। अत: पंचायत समिति निधि की राशि को निजी बैंक में रखने का औचित्य स्पष्ट करें एवं उक्त पत्र के निर्देशों के अनुसार कोपरेटिव बैंक की नजदीकी शाखा में पंचायत समिति की राशि को निवेशित करना सुनिश्चित करे।

5 पंचायत समिति का नियमानुसार बजट तैयार न करने बारे :-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त बजट लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 38 से 43 के अनुसार पंचायत समिति में प्रत्येक वर्ष विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत बजट तैयार करना अनिवार्य है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान जाँच में पाया कि पंचायत समिति द्वारा अंकेक्षण अवधि का बजट प्राकलन नहीं तैयार किया गया है जबकि उक्त नियम के अनुसार बजट प्राकलन तैयार करके पंचायत समिति से अनुमोदित करवाना अपेक्षित था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन न तैयार करने के कारण पंचायत समिति द्वारा किया गया व्यय अनियमित था। अत : अंकेक्षण अवधि के बजट प्राक्कलन को तैयार न करने व पंचायत समिति से अनुमोदित न करवाने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करके पंचायत समिति से अनुमोदित करवाना सुनिश्चित किया जाए।

6 पंचायत समिति राजस्व ₹0.42 लाख वसूली हेतु शेष:-

पंचायत समिति की स्व-स्त्रोत से प्राप्त आय का सम्बन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्न लिखित विवरणानुसार दिनांक 31-3-1 8 तक पंचायत समिति का राजस्व ₹ 42100 वसूली हेतु शेष था जिसकी अतिशीघ्र वसूली की जाए ।

दुकानों का किराया :-

वर्ष	**आ0 शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतु शेष राशि (₹)**
2015-16	19900	21600	41500	3300	38200
2016-17	38200	21600	59800	19900	39900
2017-18	39900	32400	72300	30200	42100

7 अनुदान ₹160.97 लाख का उपयोग न करना :-

पंचायत समिति द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-1}** के अनुसार दिनांक 31-03-18 तक 13 वा वित्त आयोग व जिला परिषद अनुदान **₹160.97 लाख** उपयोग हेतु शेष थी। पंचायत समिति समिति द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत समिति द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से वांछित होना पड़ा। अत: अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाए अन्यथा राशी का प्रत्यापर्ण सम्बन्धित संस्था को किया जाए।

8 बी .आर .जी.एफ.निधि व तेहरवे वित्त आयोग के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्यों को पूर्ण न करने के कारण ₹19.62 लाख के अनुदानों के अवरोधन बारे :-

अंकेक्षण के दौरान कनिष्ठ अभियंताओं द्वारा प्रस्तुत सूचना की जाँच में पाया गया कि निम्नलिखित निर्माण कार्यो को पूर्ण रूप से निष्पादित नहीं किया गया है व न ही पंचायत समिति के पदाधिकारियों ने कार्यों को पूर्ण रूप से निष्पादित करने हेतु कार्यवाही अमल में लाई गई है, जबकि इन निर्माण कार्यों की राशि को स्वीकृत किए हुए लगभग तीन वर्ष का समय हो चुका है। जिस कारण से एक तो पंचायत के लोगो को निर्माण कार्यों से प्राप्त सुविधाओं से वंचित होना पड़ा एवं बी,आर.जी.एफ. व 13वे वित्त आयोग अनुदानों में निर्धारित उदेश्यों की पूर्ति न हो सकी। अत:निम्न निर्माण कार्यों को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए।

क्रम सं0	**निर्माण कार्य का नाम**	**स्वीकृत सं व दिनांक**	**स्वीकृत राशि (₹)**	**व्यय की राशि (₹)**	**बकाया राशि (₹)**
1.	अतिरिक्त राशि अतिथि गृह लाहड़ू (BRGF)	90 Dt.04-06-17	300000	180000	120000
2.	अतिरिक्त राशि पंचायत घर कुड्डी (BRGF)	98 Dt. 4-06-17	250000	125000	125000
3.	पंचायत घर नेनीखड्ड (BRGF)	153 Dt.14-09-17	400000	200000	200000
4.	लिंक रोड GP बैल्ली (13th FC)	5210-38 Dt.06-02-15	75000	35000	40000
5.	गो सदन शेड गुलाड नजदीक शनिदेव मन्दिर चोवाडी (13th FC)	11 Dt 28-05-15	577500	325299	252201
6.	फेंसिंग व कुहल गो सदन नजदीक शनिदेव मन्दिर चोवाड़ी (13thFC)	11 Dt 28-05-15	124000	92288	31712
7.	फीडर स्टोर व चोकीदार रूम ऐट गोसदन गुलाड	11 Dt 28-05-15	275000	48436	226564
8.	गोसदन ऐट होबारडी पंचायत परछोड (13th FC)	11 Dt 28-05-15	976500	150000	826500
9.	गो सदन ऐट सिहुन्ता(13th FC)	1353 Dt.18-06-15	349936	250000	99936
10.	जन्ज घर ऐट डून्गारू गर्म पंचायत गरनौटा(13thFC)	12-44 Dt.04-04-16	36000	25000	11000
11.	शौचालय ऐट ग्राम पंचायत मोरठु (13thFC)	12-44 Dt.04-04-16	36000	25000	11000
12.	बेड ब्लेंकट्स इतियादी	12-44 Dt.04-04-16	36000	18000	18000

	डिस्पेंसरी पातका ग्राम पंचायत बिन्ना(13th FC)				
		कुल जोड़	**3435936**	**1474023**	**1961913**

9 निर्माण सामग्री ₹0.49 लाख का सम्भावित दुर्विनियोजन :-

(क) अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित निर्माण कार्यों की मापपुस्तिका व उपयोगिता प्रमाण की जाँच व ऑडिट गणना करने पर पाया गया कि निम्न निर्माण कार्यों हेतु खरीदी गई निर्माण सामग्री से बची निर्माण सामग्री को स्टॉक में भी नहीं दर्शाया गया और न ही इस बची सामग्री का अन्य निर्माण कार्यों में उपयोग दर्शाया गया है जिसके लिए स्थिति स्पष्ट करें अन्यथा बची हुई सामग्री मूल्य ₹34238 की वसूली सम्बन्धित से की जाए तदनुसार अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत किया जाए।

(i)C/O patwar khana at GP manhouta (BRGF) :-

माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ सं0	**खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा (वाउचर सं 19माह 08/15)**	**माप पुस्तिका द्वारा उपयोग की गई मात्रा**	**शेष निर्माण सामग्री**	**क्रय की गई दर (₹)**	**शेष सामग्री का मूल्य (₹)**
18535पृष्ठ 56से 58	500ft रेत+बजरी	412ft	88 ft	40	3520

(ii)C/O shamshanghat with shed kalam khad GP Parchode(BRGF) :-

माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ सं0	**खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा**	**माप पुस्तिका द्वारा उपयोग की गई मात्रा**	**शेष निर्माण सामग्री**	**क्रय की गई दर (₹)**	**शेष सामग्री का मूल्य (₹)**
1859 पृष्ठ 53 से 57	110सीमेंट बैग	95 बैग	15 बैग	285.50	4282

(iii)C/O water tank at aril-purlibandigini GP kakira(BRGF) :-

माप पुस्तिका सं0 व पृष्ठ सं0	**खरीदी गई निर्माण सामग्री की मात्रा**	**माप पुस्तिका द्वारा उपयोग की गई मात्रा**	**शेष निर्माण सामग्री**	**क्रय की गई दर (₹)**	**शेष सामग्री का मूल्य (₹)**
2400 पृष्ठ	19.59 cum रेत	12.74 cum	6.85cum	1095	7501

65 -66	33.97cum बजरी(क्रेशर)	18.65cum	15.32cum	1236	18936
				जोड़	**26437**
			कुल जोड़ (i+ii+iii)		**34239**

(ख) निर्माण कार्य का नाम :- Additional amount for complitionof panchayt ghar Hatli

स्वीकृत राशि :- ₹195000

माप पुस्तिका न० :-1908 पृष्ठ 24 से 26

शीर्ष :- BRGF

उपरोक्त विवरणानुसार माप पुस्तिका की जाँच करने पर पाया गया कि निर्माण कार्य के लिए रेत,बजरी की खपत से सम्बन्धित एक मद "P/L C.C 1.2.4" का निष्पादन किया गया था, जिसके लिए नियमानुसार निम्नलिखित सामग्री की खपत अपेक्षित थी :-

निष्पादित मद की मात्रा	**रेत,बजरी की अपेक्षित मात्रा**	**खरीद की गई मात्रा**	**अधिक खरीद की निर्माण सामग्री**	**क्रय की गई दर (₹)**	**शेष निर्माण सामग्री का मूल्य (₹)**
15.18cum	रेत =15.18x.445=6.75cum, बजरी=15.18x.89=13.51cum	16.98cumरेत 16.98cum बजरी	16.98-6.75= 10.23cumरेत 16.98-13.51= 3.46cumबजरी	1060/-cum रेत+बजरी	14511

उक्त विवरणानुसार निर्माण कार्यों से शेष बची निर्माण सामग्री को न तो स्टॉक रजिस्टर में दर्शाया गया और न ही अन्य कार्य में उपयोग दर्शाया गया जिसके लिए स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा ₹14511 की वसूली सम्बन्धित से की जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए I

10 खाता वहियाँ तैयार न करना :-

जाँच में पाया गया कि पंचायत समिति में वर्ष 2015-16 से 2017-18 में खाता वहियाँ तैयार नहीं की गई थी जबकि पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते}

नियम 2002 के नियम 29(1) के अंतर्गत प्रारूप-7 व वित्त नियम-4 के अनुसार खाता वहियाँ तैयार करना अपेक्षित थी जिसके अभाव में इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी कि किसी विशेष कार्य हेतु कितनी राशि प्राप्त की गई, कितनी राशि व्यय की गई थी एवं कितनी राशि शेष थी। अत: नियमानुसार खाता बहियों को तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट करें एवं भविष्य में नियमों के अनुसार खाता बहियों को तैयार करना सुनिश्चित करें।

11 पंचायत समिति की अतिरिक्त राशि को नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज{ वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 26 के अनुसार पंचायत समिति द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत समिति द्वारा प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक में इस प्रकार निवेशित किया जाना अपेक्षित है कि इन पर अधिकतम लाभ कमाया जा सके। परन्तु पंचायत समिति द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था ,जबकि वितीय स्थिति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि पंचायत समिति के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त राशि शेष थी । अतः इस प्रकार अकुशल वितीय प्रबन्धन के कारण पंचायत समिति को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 विहित रजिस्टरों का रख रखाव न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अंतर्गत पंचायत समिति द्वारा विभिन्न रजिस्टरों /अभिलेखों का रख रखाब किया जाना अनिवार्य था। अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत समिति द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख रखाब नहीं किया गया था ,जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है। अत: नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख रखाब किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

1. अनुदान रजिस्टर
2. यात्रा भत्ता बिल का जाँच पड़ताल रजिस्टर
3. अग्रिम रजिस्टर

13 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना :-

हि०प्र० पंचायती राज{वित्त बजट लेखे,सकर्म,कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत समिति के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना

अपेक्षित है,परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु-आपति विवरणिका:-**लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नही की गई है।

15 **निष्कर्ष** :- लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरिक्षण की आवयश्कता है।

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (xv)(7) 38/2018 खण्ड–1–8142–8144 दिनांक 6.12.18 शिमला–09

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

पंजीकृत
1. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भटियात, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
2. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सम्बन्धित खण्ड विकास अधिकारी को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0

हस्ता/–
(ज्ञान चन्द शर्मा)
उप निदेशक
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009
फोन नं0 0177–2620881